


बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी.-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पाटलिपुत्र, पटना-800 010

पटना, दिनांक :- 13.7.17

पत्रांक:- 7-4126

AMC (AMMS)



आलोक कुमार, भा0व0से0

सदस्य सचिव

14 JUL 2017

सवा में,

पटना नगर निगम आयुक्त
नगर निगम, पटना ।

विषय: पटना शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्थलों, सड़क, चौक-चौराहों इत्यादि में इर्द-गिर्द विशेषकर प्रातः एवं संध्या काल में व्यवसायिक उपयोग हेतु कोयले एवं लकड़ी के चूल्हे जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि पटना शहर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्थलों यथा पार्क, विद्यालय, हॉस्पिटल, कार्यालय, स्टेडियम, चौक-चौराहों इत्यादि के इर्द-गिर्द, विशेषकर प्रातः एवं संध्या काल में वाणिज्यिक उपयोग हेतु कच्चा कोयला एवं लकड़ी के चूल्हे को जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या हो रही है। खासकर प्रातः काल में स्वास्थ्य लाभ के लिए भ्रमण हेतु निकले सभी पुरुष, वृद्ध एवं स्कूल जाते बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने से श्वसन से संबंधित कई बिमारियाँ हो सकती हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रातः काल में पटना शहरी क्षेत्र में ऐसे सार्वजनिक स्थलों के आस-पास कोयले एवं लकड़ी के चूल्हे एवं खुले में ठोस कचरों को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का अपने स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभोजन

(आलोक कुमार)

सदस्य सचिव

9007/13/7/17